राजस्थान में बालिका शिक्षा

❑ चतर सिंह मेहता

सामान्य जनों पर आंकड़ों का आतंक बहुत हावी रहता है । सरकारी तंत्र खुद भी आंकड़ों की दुनिया को अधिकाधिक रहस्यमय बनाये रखता है । ऐसे में आकड़ों का विश्लेषण और उस पर विमर्श एक जरूरी उपक्रम बन जाता है । शिक्षा के संदर्भ में सरकारी आंकडों का विश्लेषण कर यहां राजस्थान में बालिका शिक्षा की तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है । इस विश्लेषण में नामांकन के आंकड़ों की प्रामाणिकता पर सवालिया निशान है तो प्रदेश में बालिका शिक्षा की धीमी प्रगति की वास्तविकता को उजागर किया है । ग्रामीण अंचलों, विशेष कर दलित समुदाय में तो स्थिति और भी चिन्तनीय है ।

स्वतंत्र भारत के भविष्य दृष्टाओं और आयोजकों ने एक सपना संजोया था कि देश में शीघ्रता से प्राथमिक शिक्षा का प्रसार कर देश को निरक्षरता से मुक्त किया जायेगा। उन्होंने यह माना था कि विकास का साक्षरता से सीधा संबंध है । आजादी के बाद के इतने वर्षों में गांव-गांव में विद्यालय खुले, अध्यापक नियुक्त हुए व कई प्रोत्साहन भी दिये गये परन्तु महिलाओं की साक्षरता दर में राजस्थान अभी भी भारत के अधिकांश राज्यों से काफी पीछे है । सन् 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 44.34 प्रतिशत महिलायें ही साक्षर हैं । बांसवाडा और जालौर जिलों में तो यह प्रतिशत क्रमश: 27.86 और 27.53 ही है । ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता स्थिति और भी कमजोर है । सन् 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में 7 वर्ष से ऊपर की निरक्षर बच्चियों और महिलाओं की संख्या 123 लाख है जो नेपाल, अफगानिस्तान और आस्ट्रेलिया जैसे देशों की जनसंख्या की तीन चौथाई से भी अधिक है । देश में निरक्षरता की स्थिति सीधे रूप से औपचारिक शिक्षा से जुड़ी हुई है । पिछले 50 वर्ष से अधिक समय के प्रयत्नों के बाद भी हम प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनीन नहीं कर पाये। आज भी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की भर्ती कम है और उनमें भी बहुत कम पढ़ाई को जारी रखती हैं ।

पुरूष और महिलाओं की साक्षरता के बीच भी भारी अन्तर है । स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं और पुरूषों की पहुंच में भी अन्तर है । समस्या यह भी है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का अनुपात काफी कम है । स्त्रियों की मुत्युदर पुरूषों से अधिक है । कुपोषण की शिकार लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक ही नहीं होती बल्कि उनके कुपोषण का स्तर भी अधिक गंभीर होता है । महिलाओं को समान अवसर मिलें व वे शोषण और अभावों से मुक्त हो सकें, इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवसर सुलभ करायें जायें व इस मार्ग की सभी कठिनाइयों को शीघ्रतिशीघ्र दूर किया जाए ।

प्रगति की तस्वीर

यदि विद्यालयों की संख्या, बालक-बालिकाओं की संख्या, अध्यापक-अध्यापिकाओं की संख्या की दृष्टि से तुलना की जाये तो बालिका शिक्षा की स्थिति काफी कमजोर दिखाई देती है ।

राजस्थान निर्माण के समय बालिकाओं के 452 प्राथमिक विद्यालय थे जिनकी संख्या 1998 - 99 में बढ़कर 2366 हो गई । इस अवधि में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में आठ गुणा वृद्धि हुई पर बालिका प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में पांच गुनी ही वृद्धि हुई । सन् 1950-51 में कुल प्राथमिक विद्यालयों के 10.42 प्रतिशत बालिका प्राथमिक विद्यालय थे जिनका प्रतिशत सन् 1998 - 99 में 6.99 ही रह गया । बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भी सन् 1950 में कुल के 13.9 प्रतिशत थे जो सन् 1997 में घटकर 9.09 प्रतिशत ही रह गये । इस प्रकार बालिका विद्यालयों का पर्याप्त विस्तार न होना भी बालिका शिक्षा के प्रसार में बाधक रहा । सन् 1999-2000 में यह संख्या क्रमश: 4.13 और 6.96 ही हो पायी।

राजस्थान के निर्माण के समय प्राथमिक विद्यालयों में 11.02 प्रतिशत अध्यापिकाएं थीं और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह प्रतिशत 14.12 था । पिछले वर्षों में यह प्रतिशत निरन्तर बढ़ता गया और सन् 1998-99 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह क्रमश: 27.83 और 25.43 हो गया । सीधे रूप से तो यह लगता है कि महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ने से बालिकाओं की संख्या विद्यालयों में बढ़ेगी । परन्तु इस बारे में किये गये अध्ययन बताते हैं कि महिला शिक्षकों के कारण बालिका नामांकन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया । सैद्धांतिक रूप से तो

आना चाहिये । न आने के भी कई कारण हैं । उन कारणों को ज्ञात कर प्रशासन यदि अनुवर्ती कार्यवाही करे तो अन्तर आ सकना चाहिये ।

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन सन् 1950-51 में मात्र 55 हजार था जो सन् 1996-97 में बढ़कर 25.19 लाख और 98-99 में 27.07 लाख हो गया। वृद्धि लगभग 27 लाख की ही है। इसी अवधि में बालकों का नामांकन लगभग 39 लाख बढ़ा जो 2.75 लाख से 41.20 लाख हो गया । बालकों की तुलना में बालिकाओं की वृद्धि दो-तिहाई ही रही । उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की संख्या उस समय 9 हजार ही थी जो 1998 - 99 में 6.51 लाख हो गई परन्तु इसी अवधि में बालकों की संख्या 52 हजार से बढ़कर 15.16 लाख हो गई। स्पष्ट है कि बालकों की तुलना में उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन आधे से भी काफी कम बढ़ा ।

पिछले इन वर्षों को दशकों में बांट कर देखा जाये तो यह उल्लेखनीय है कि सन् 1990 के बाद के आठ वर्षों में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की सर्वाधिक वृद्धि 12.61 लाख हुई जो इस अवधि के बालकों की नामांकन वृद्धि 9.35 लाख से लगभग 3 लाख अधिक है । इसी अवधि के आठ वर्षों में उच्च प्राथमिक स्तर पर भी बालिकाओं के नामांकन में 3.33 लाख की वृद्धि हुई जो तीस वर्षों की वृद्धि से भी अधिक है । बालिका नामांकन वृद्धि पर सर्वाधिक ध्यान सन् 1990-91 के बाद ही गया है यद्यपि इसके पिछले दशक में भी प्रगति की रफ्तार इसके पहले दशकों से काफी अधिक रही है ।

न पढ़ने वाली बालिकाओं की संख्या अभी भी अधिक

जब कभी बालिका शिक्षा के प्रसार की बात की जाती है तो प्रतिशत वृद्धि बताकर संतोष का अनुभव कर लिया जाता है परन्तु तस्वीर का दूसरा पहलू भी है । जहां एक ओर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है वहां दूसरी ओर विद्यालयों में न जाने वाली बालिकाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है । बालकों की तुलना में तो यह स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है ।

सन् 1950-51 में प्राथमिक स्तर के योग्य आयु की विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं की संख्या 9.10 लाख थी। यह संख्या 1980-81 में बढ़ कर 13.85 लाख हो गई । पिछले 17-18 वर्षों के प्रयत्नों के बाद अनुमान है कि यह संख्या घट कर 6.99 लाख ही रह गई है । परन्तु उच्च प्राथमिक स्तर पर न पढ़ने वाली उस आयु की बालिकाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है और यह संख्या 1950-51 की 5.51 लाख से बढ़ कर 98-99 में 12.38 लाख हो गई है ।

दूसरी ओर बालकों के आंकडे बताते हैं कि इन दोनों स्तरों पर विद्यालयों में पढ़ने न जाने वाले बालकों की संख्या में निरन्तर कमी आई है । प्राथमिक स्तर पर 6-11 आयु वर्ग के 7.81 लाख बालक सन् 1950-51 में शिक्षा से वंचित थे जिनकी संख्या घटकर 1980-81 में 1.43 लाख ही रह गई और शिक्षा विभाग के आंकडे बताते हैं कि 1998-99 में 6-11 आयु वर्ग के 116 प्रतिशत बालक विद्यालयों में आ रहे हैं। जब नामांकन की गणना की जाती है तो 6-11 आयु वर्ग की नहीं की जाती परन्तु जब प्रतिशत निकाला जाता है तो 6-11 आयु वर्ग की जनसंख्या से निकाला जाता है । इस प्रकार की भ्रामक प्रणाली से सही स्थिति का पता ही नहीं चलता ।

उच्च प्राथमिक स्तर पर 11-14 आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या में से 98-99 में 6.75 लाख बालक नामांकित नहीं थे जब कि ऐसी बालिकाओं की संख्या 12.38 लाख थी । बालकों से दुगनी संख्या में बालिकाएं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकित नहीं हैं ।

विद्यालय छोड़ने वालों की भ्रामक स्थिति

नामांकन शब्द बड़ा भ्रामक हो गया है क्योंकि विद्यालय के उपस्थिति रजिस्टर में नाम तो लिख दिये जाते हैं पर उतने बालक-बालिका पढ़ने नहीं आते या बहुत ही अनियमित होते हैं जिससे प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसी कारण नामांकन पर बल नहीं दिया गया । बल इस बात पर देने की सिफारिश की गई कि विद्यालय में बालक-बालिका निरन्तर पढ़ती हैं और कितनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करती हैं। आंकड़े बताते हैं कि पांच वर्ष पहले यदि पहली कक्षा में 100 बालिकाएं थीं तो पांचवी में 1998-99 में 38 हीं रहीं व 1999-2000 में तो प्रतिशत 37.47 यानी और कम हो गया ।

ग्रामीण क्षेत्र में पहली कक्षा की 100 बालिकाओं में से 35 ही पांच वर्ष बाद पांचवी कक्षा में पहुंचती है और 65 बालिकाएं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं । शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से स्थिति कुछ अच्छी रहती है । शहरी क्षेत्र में 1992-93 में पहली कक्षा की 100 छात्राओं में से पाचवें वर्ष पांचवी में 57 छात्राएं ही रह गई । क्षरण की स्थिति यह है कि 1996-97 में पहली कक्षा में बालिकाओं का नामांकन जितना था उसका वर्ष 1997-98 में अगले वर्ष दूसरी कक्षा में नामांकन 48 प्रतिशत ही था अर्थात् 52 प्रतिशत बालिकाएं दूसरी कक्षा में नहीं पहुंचीं ।

इसे विद्यालय छोड़ना कहें, अपव्यय है या क्षरण या इसे पहली कक्षा में अवास्तविक नाम लिखना कहें । पहली कक्षा में

नामांकन के बारे में कई अध्ययन हुए हैं और सभी का यही निष्कर्ष है कि पहली कक्षा में जितने नाम लिखे होते हैं और जितनी उपस्थिति अंकित की जाती है उतने बालक-बालिका विद्यालय में पहली कक्षा में होते ही नहीं । जब तक रजिस्टर में अंकित उपस्थिति और वास्तविक उपस्थिति को एक नहीं बनाया जाता तब तक प्राथमिक शिक्षा और बालिका शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता । यह सोचने की बात है कि अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिये भर्ती कराते हैं या पढ़ाने के लिये । हां, कुछ सामान्य कारणों से छोड़ सकते हैं परन्तु एक वर्ष में ही पहली से दूसरी कक्षा में ही आधे कम हो जाएं तो बड़े गोलमाल का अंदेशा होना चाहिये । दूसरी कक्षा से आगे की कक्षाओं में इतने कम क्यों नहीं होते ? ऐसे आंकड़े वर्षों से प्राप्त हो रहे हैं पर प्रशाासन इस बारे में मौन ही रहता है । शायद यह समझ लिया गया है कि आंकडे केवल आंकडे प्राप्त करने के उद्देश्य से होते हैं, किसी अनुवर्ती कार्यवाही के लिये नहीं । यदि यही स्थिति चलती रही तो असफलता होते हुए भी कागजी आंकडे सफलता का भ्रम पैदा करते रहेंगे ।

अनुसूचित जाति, जनजाति समानता स्तर

राजस्थान में सन् 1975-76 में प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति की बालिकाओं का नामांकन 36 हजार था और उच्च प्राथमिक स्तर पर मात्र दो हजार । यह संख्या 1998-99 में बढ़कर क्रमश: 4.63 लाख और 0.96 लाख हो गई । अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं प्राथमिक स्तर पर 1975-76 में केवल 19 हजार थी जिनकी संख्या 1998-99 में 2.69 लाख हो गई । इसी अवधि में उच्च प्राथमिक स्तर पर इनकी संख्या एक हजार से बढ़कर 45 हजार हो गई ।

प्राथमिक स्तर पर जितनी बालिकाओं का नामांकन है वह कुल नामांकन का 39.65 प्रतिशत है । अनुसूचित जाति के कुल नामांकन का 38.62 प्रतिशत है। इन वर्गों में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है । उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बालिकाएं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का कुल प्रतिशत क्रमश: 30, 26.72 और 22.88 है । उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के प्रतिशत में काफी वृद्धि की आवश्यकता है, ताकि यह 50 के नजदीक पहुंच जाये ।

राज्य की कुछ जनसंख्या में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत क्रमश: 16 व 12 माना गया है । बालिकाओं के कुल नामांकन में प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति की बालिकाओं का नामांकन 17.10 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का प्रतिशत 9.93 है । अनुसूचित जाति की बालिकाओं का समानता गुणांक 101 है अर्थात् अन्य जातियों का 100 बालिकाओं की तुलना में अनुसूचित जाति की 101 बालिकाएं नामांकित हैं । परन्तु अनुसूचित जनजाति बालिकाओं का समानता गुणांक 83 ही है । उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बालिकाओं के नामांकन में अनुसूचित जाति की बालिकाओं का नामांकन 14.75 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का नामांकन 6.91 प्रतिशत ही है जो यदि क्रमश: 16 और 12 प्रतिशत होता तो समानता गुणांक बराबर होता । अभी यह 92 और 57 ही है ।

प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बालक कुल नामांकन के क्रमश: 17.86 और 11.04 प्रतिशत हैं । यही स्थिति अनुसूचित जाति की बालिकाओं की है । उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बालकों का प्रतिशत अपनी जाति के जनसंख्या में प्रतिशत से अधिक है पर इसी स्तर पर बालिकाओं का समानता गुणांक काफी कम है। स्पष्ट है कि बालकों की शिक्षा पर सभी वर्गों में बल है पर बालिकाओं की संख्या सभी स्तरों पर उपेक्षित है ।

जिलों में नामांकन प्रतिशत में भिन्नता

बालिका शिक्षा की दृष्टि से राज्य के जिलों में बड़ी विभिन्नताएं हैं । किन्हीं जिलों में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं और बालकों के समानता स्तर में थोड़ा ही अन्तर है पर अधिकांश जिलों में काफी असमानता है। राज्य के 13 जिले कुल नामांकन में बालिकाओं के राजस्थान के औसत प्रतिशत से अधिक हैं परन्तु शेष 18 जिले राजस्थान औसत से कम हैं। झूंझनु जिले में बालिका नामांकन प्राथमिक स्तर के कुल नामांकन का 46.33 प्रतिशत है। बालक-बालिका नामांकन समानता की दृष्टि से झूंझनू जिला प्रथम स्तर पर है। इसके बाद, क्रमश: सीकर, राजसमंद, कोटा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, बारां, नागौर, धौलपुर, अलवर, डूंगरपुर व भरतपुर का स्थान है । सीकर व राजसमन्द जिलों में बालिका नामांकन कुल का 45 प्रतिशत है और भरतपुर में 39, शेष उपरोक्त जिलों में बालिका नामांकन 45 और 39 प्रतिशत के बीच है ।

शेष जिलों में बालिकाएं कुल नामांकन में 28 से 38.37 प्रतिशत के बीच में हैं । इन 18 जिलों में अजमेर, पाली, बीकानेर चित्तौड़गढ़ व उदयपुर जिलों में बालिकाएं कुल नामांकन की 38 प्रतिशत हैं और बाडमेर, जोधपुर, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर व जालौर में बालिका नामांकन कुल नामांकन के 35.61 और 27.74 के बीच है । बालकों की तुलना में सबसे कम नामांकन जालौर जिले में है ।

सन् 1986 से 1996 के बीच प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन की समीक्षा करें तो ज्ञात होगा कि 1986 में भी 13 जिले राजस्थान औसत से ज्यादा थे जिनकी संख्या 1996 में भी 13 ही रही । इस बीच कुछ नये जिले भी बन गये । तुलना की दृष्टि से गंगानगर, झूंझनू, कोटा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर और जयपुर जिलों ने राज्य के ऊपर का औसत बनाये रखा । परन्तु बीकानेर, अजमेर, बांसवाड़ा, बूंदी, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले जो 1986 में राजस्थान औसत से ऊंचे थे वे 1996 में राजस्थान औसत से नीचे आ गये ।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन कुल नामांकन का 29.42 प्रतिशत ही है । इस स्तर पर 100 के नामांकन में 71 बालक पढ़ रहे है और 29 बालिकाएं । सब जिलों में झूंझनु, कोटा और गंगानगर जिलों में उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन कुल का 38 प्रतिशत है। यदि यह नामांकन 50 प्रतिशत के आस पास हो तो बालक-बालिका का अनुपात समान हो जाएगा । राज्य के 12 जिलों में बालिका प्रतिशत राजस्थान के औसत से ऊपर है। उपरोक्त तीन जिलों के अतिरिक्त हनुमानगढ़, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर, सीकर, अलवर और बांसवाडा जिलों में बालिका प्रतिशत कुल नामांकन के 35 से 30 प्रतिशत के बीच है । शेष 20 जिलों में कुल नामांकन में बालिकाओं का प्रतिशत राजस्थान औसत से कम है और वह 29 से 14 प्रतिशत के बीच है.। जोधपुर मंडल के चार जिले बालक-बालिका समानता स्तर में सबसे नीचे हैं । कुल नामांकन में पाली में 21, जैसलमेर में 20, बाडमेर में 18 और जालौर में 14 प्रतिशत ही बालिकाएं हैं ।

सन् 1986 से 1997 के बीच उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन में बालिका नामांकन का अध्ययन किया जाये तो ज्ञात होगा कि 1986 में राजस्थान के औसत 19.75 से 13 जिले ऊंचे थे जिनकी संख्या 1997 के औसत 29.42 प्रतिशत से ऊंचे केवल 12 जिले ही रह गये। बीकानेर, बांसवाडा, अजमेर, गंगानगर, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर और झूंझनू ने अपना पूर्व स्थान बरकरार रखा परन्तु जोधपुर, भीलवाडा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ औसत से नीचे आ गये । अलवर और सीकर जो पहले राजस्थान औसत से नीचे थे वे 1997 में राजस्थान औसत से ऊपर हो गये ।

बालक-बालिका नामांकन के अंतर में कमी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा पर काफी जोर दिया गया । सम्पूर्ण जिला साक्षरता कार्यक्रमों के संचालन के कारण भी बालिका शिक्षा के बारे में लोगों में जागृति आई । शिक्षाकर्मी और लोक जुम्बिश जैसी परियोजनाओं के कारण भी लोगों का ध्यान बालिका शिक्षा पर केन्द्रित हुआ । इन सब प्रयत्नों से बालिकाओं के समानता स्तर में वृद्धि हुई । सन् 1986 में बालक-बालिाओं के नामांकन प्रतिशत में 42.13 प्रतिशत का अन्तर था जो 1996 में घटकर 23.20 रह गया । सन् 1976 से 86 के दशक में यह अन्तर 11.22 प्रतिशत घटा था परन्तु 1986 से आगे के दशक में यह 18.93 प्रतिशत घटा।

सन् 1976 और 1986 के दस वर्षों में केवल 7 जिलों ने राजस्थान के औसत अन्तर से अधिक प्रगति की, वहीं 1986 से आगे के दस वर्षों में 18 जिले राजस्थान के औसत अन्तर से आगे निकले । जिलों द्वारा किये गये प्रयत्नों की यह तुलनात्मक तस्वीर है पर असली प्रयत्न उन 19 जिलों को अधिक करना है जिनमें प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन राजस्थान औसत से कम है । आंकडों के विश्लेषण का तभी महत्व है जबकि उनके अनुसार ग्राम स्तर से लेकर पंचायत, पंचायत समिति, जिला और पूरे राज्य की भावी क्रियान्विति योजना बनाई जाए ।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर किया गया है । इसके अनुसार जो मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं, वे इस प्रकार हैं -

1. सन् 1950-51 से 1998-99 के बीच विद्यालयों, शिक्षकों व नामांकन में कई गुना वृद्धि हुई है पर इस अवधि में बालिका प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत घटा है। इन दोनों ही स्तरों पर महिला शिक्षकों के प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई । प्राथमिक विद्यालयों में 28 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25 प्रतिशत शिक्षक महिलायें हैं ।
2. बालिकाओं के नामांकन में भी काफी वृद्धि हुई है पर यह वृद्धि बालकों की वृद्धि की तुलना में कम हुई । राजस्थान निर्माण के बाद 1998-99 तक बालिकाओं की संख्या प्राथमिक स्तर पर 27 लाख बढ़ी जबकि इसी अवधि में बालकों की संख्या में 39 लाख की वृद्धि हुई । उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं व बालकों की वृद्धि क्रमश: 6.42 लाख और 13.51 लाख हुई ।
3. प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में बालकों से अधिक वृद्धि पिछले आठ वर्षों में हुई जबकि बालकों का नामांकन तो 9.25 लाख बढ़ा पर बालिका नामांकन 13.51 लाख बढ़ा ।
4. प्राथमिक स्तर पर पढ़ने न जाने वाली बालिकाओं की

संख्या घटी है पर उच्च प्राथमिक स्तर पर न पढ़ने वाली बालिकाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है ।

5. पहली कक्षा में भर्ती होने वाली बालिकाओं का 40 प्रतिशत हिस्सा ही पांचवी कक्षा में पहुंचता है। पहली से दूसरी कक्षा में क्षरण बहुत अधिक होता है । शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से स्थिति कुछ अच्छी है ।

6. अनुसूचित जाति की बालिकाओं का प्राथमिक स्तर पर नामांकन कुल बालिका नामांकन का 17.10 प्रतिशत है जो जनसंख्या में उनके प्रतिशत से अच्छा है पर अनुसूचित जनजाति बालिकाओं का प्रतिशत 9.93 ही है जो उनके जनसंख्या प्रतिशत से कम है ।

7. जिलों में बालिका नामांकन के प्रतिशत में काफी विभिन्नतायें हैं । झुंझनू जिले में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन में 46 प्रतिशत बालिकाएं हैं वहां जालौर जिले में यह प्रतिशत 28 ही है । राज्य स्तर पर यह प्रतिशत 38 है । इस प्रतिशत के ऊपर केवल 12 जिले हैं और शेष 20 जिले इससे नीचे हैं ।

8. उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन कुल नामांकन का 30 प्रतिशत ही है । यहां भी 12 जिलों में प्रतिशत राज्य औसत से अधिक है और शेष 20 जिलों में कम। झुंझनू और कोटा जिलों में कुल नामांकन का 38.24 प्रतिशत बालिका नामांकन है परन्तु जालौर जिले में यह प्रतिशत 13.89 ही है । बालक-बालिका समानता स्तर की दृष्टि से उच्च प्राथमिक स्तर पर स्थिति अधिक खराब है ।

9. प्राथमिक स्तर पर सन् 1986 के आगे के 10 वर्षों में बालक बालिका के प्रतिशत के अन्तर में काफी कमी हुई है। बालिका नामांकन में भी काफी वृद्धि हुई है परन्तु इस वृद्धि के बावजूद बालकों का समानता स्तर प्राप्त नहीं हो सका है ।

कारणों का विश्लेषण

शिक्षा के क्षेत्र में और प्रमुखतया प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में वांछित प्रगति न होने और लिंग असमानता के बारे में जब भी बात की जाती है तो शिक्षा से जुडे अधिकांश व्यक्ति इसके दो प्रमुख कारण बताते हैं । पहला तो यह कि अभिभावक शिक्षा का महत्व नहीं जानते और दूसरा यह कि लोग गरीब हैं अत: अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते और घर पर काम या मजदूरी कराना बेहतर समझते हैं ।

ऐसी टिप्पणियां समाचार पत्रों में भी छपती रहती हैं। वे टिप्पणियां किसी अध्ययन पर आधारित नहीं होतीं और केवल असफलता पर पर्दा डालने के लिये की जाती हैं । कुछ ही समय पूर्व 'पब्लिक रिपोर्ट आन बेसिक एजूकेशन' (प्रोब) प्रकाशित हुई थी । (1999) । यह अनुसंधान उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्य में किया गया था । यह पाया गया कि 98 प्रतिशत अभिभावक अपने लड़कों को पढ़ाने के पक्ष में हैं परन्तु लड़कियों की शिक्षा के बारे में 89 प्रतिशत अभिभावक पक्षधर हैं। इसी प्रकार का अध्ययन सन् 2000 में राजस्थान के 10 जिलों में विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर ने भी किया था। इस अध्ययन में ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के 600 अभिभावकों से सम्पर्क किया गया । इस अध्ययन में भी पाया गया कि केवल 5 प्रतिशत अभिभावक अपने लड़कों को पढ़ाना उपयोगी नहीं मानते थे । लड़कियों के संबंध में ऐसी राय रखने वालों का प्रतिशत 16 था। कमोबेश प्रोब अध्ययन और विकास अध्ययन संस्थान जयपुर के अध्ययन के निष्कर्ष समान ही थे।

अब पहले जैसी बात नहीं है । विकास के कई अभियानों महिला जागृति कार्यक्रमों, जिला साक्षरता अभियान आदि के माध्यम से अब लोग समझ गये हैं कि आज के युग में पढ़ना-लिखना कितना जरूरी है। विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हो गया है लगभग 80 प्रतिशत लोग अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के पक्ष में हैं। आज सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बशर्ते कि उन्हें विश्वास हो जाये कि उनके बच्चे के समय का स्कूल में सदुपयोग होगा व उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी ।

जहां तक आर्थिक कारणों का प्रश्न है, ऐसे कई उदाहरण विद्यमान हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उच्च औसत आय होना पढ़ाई करने या नही करने से सीधा संबंधित नहीं हैं । बहुत से विकासशील देश जिनकी प्रति व्यक्ति औसत आय भारत के समान अथवा भारत से कम है उन्होंने भी भारत से अधिक साक्षरता दर व प्राथमिक शिक्षा में उच्च नामांकन दर प्राप्त की है । म्यांमार की प्रति व्यक्ति औसत आय भारत से कम है पर प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर व साक्षरता दर भारत से अधिक है । यही बात कीनिया की है जहां औसत आय भारत से कम होने पर भी भारत से साक्षरता दर अधिक है । यदि भारत के राज्यों को ही देखें तो केरल जहां प्रति व्यक्ति औसत आय कई राज्यों से कम है वहां महिला साक्षरता दर 87 प्रतिशत है और सभी बालक-बालिका प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं । यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बालिकाओं को पढ़ाने में आय का इतना संबंध नहीं है जितना अच्छी व्यूह रचना का है।

ऐसे कई उदाहरण है जहां अध्यापकों ने अच्छे शिक्षण और

मनोयोग पूर्ण कार्य कर जनता का विश्वास जीता व गांव के शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन करने में सफल हुए । वहां गांव के लोगों की आर्थिक दशा कोई बाधा नहीं बनी, इसके विपरीत गांव वालों ने मिल कर विद्यालय की भौतिक आवश्यकताएं भी पूरी कीं ।

नई व्यूह रचना की आवश्यकता

अब ऐसी बात नहीं है कि अभिभावक शिक्षा के महत्व को न समझते हों या अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हों । हमारे सामने ऐसे उदाहरण नहीं हैं जहां सही प्रयत्न निष्ठा व समझदारी से किये गये हों और वहां सफलता न मिली हो । सफलता की कहानियां हैं, उन्हें सर्वव्यापी बनाने की जरूरत है ।

शिक्षा के इतने विस्तार और व्यय में इतनी अधिक वृद्धि के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा के अब तक सार्वजनीन न हो सकने और बालिका शिक्षा की हीन स्थिति का एक बड़ा कारण प्रगति के सही मानदण्डों का निर्धारण नहीं करना और उन्हें मूल्यांकन का आधार न बनाना है । शिक्षा की प्रगति सरकारी स्तर पर विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, अध्यापक संख्या में वृद्धि और व्यय की मात्रा तक ही सीमित रहती है और इन आधारों पर ही प्रगति की समीक्षा की जाती है। ये तीनों बिन्दु तो साधन है, साध्य नहीं । साध्य हैं- वास्तविक नामांकन, ठहराव की स्थिति, औसत उपस्थिति, अगली कक्षा में छात्र-छात्रा स्थानान्तरण, उपलब्धि स्तर, छात्र-छात्रा समानता अनुपात, लागत विश्लेषण आदि । जब ये बिन्दु प्रगति आकलन व मूल्यांकन के आधार नहीं बनाये जाते तो कोई भी इन पर क्यों ध्यान दें ? किसी भी स्तर पर एकत्रित किये गये आंकडों को न तो पढ़ा जाता है, न निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अनुवर्ती कार्यवाही का तो प्रश्न ही नहीं है।

शिक्षा में मन का महत्व धन से अधिक होता है । प्राथमिक शिक्षा में पहली कक्षा पर विशेष ध्यान दें, सही आंकडे एकत्रित हों और उनकी हर स्तर पर समीक्षा कर अनुवर्ती कार्यवाही करें और प्रशासन को सामान्य प्रशासन की तरह नहीं, शिक्षा प्रशासन की मूल अवधारणा के अनुसार चलाएं तो निश्चय ही प्राथमिक शिक्षा व बालिका शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है । प्राथमिक शिक्षा के सही सूचकांक (इण्डीकेटर) निर्धारित कर उन्हें मूल्यांकन का आधार बनाये बिना बच्चों का अधिकार सभी के लिये शिक्षा आने वाले कई वर्षों में वास्तविकता नहीं बन सकेगा । ◆

संदर्भ

1. राजस्थान में शिक्षा की प्रगति के चालीस वर्ष (1950- 90) शिक्षा विभाग, बीकानेर ।
2. शिक्षा की प्रगति 1986-87, 1990-91 से 98-99 वर्ष वार, शिक्षा विभाग, बीकानेर ।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्य योजना, भारत सरकार, नई दिल्ली
4. पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एजुकेशन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999
5. सोशियल एसेसमेन्ट स्टडी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर, 2000
6. चतर सिंह मेहता : सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा- मूल्यांकन के सही मानदंडों की आवश्यकता, नई शिक्षा, जयपुर : जनवरी 1999
7. चतरसिंह मेहता : राजस्थान में बालिका शिक्षा : संधान, जयपुर : 1991.

